

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधि:

(Direct Port Entry Facility)

डीपीई एक ऐसी योजना है, जो नरियात के संबंध में समय और लागत को कम करती है, जिसके तहत नरियात कंटेनरों को ‘लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर’ (LEO) देने से पहले ही पोर्ट एक्सपोर्ट में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह भारत से बाहर वस्तुओं के नरियात के लिये आवश्यक अनुपालन सूची का अंतिम चरण है।

स्रोत- द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/direct-port-entry-facility>